

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-1 की स्वीकृति के आधार पर जनपद चमोली में रिक्त एवं वर्ष 2015 तक सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुए कुल 23 अभ्यर्थियों का राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण (वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन-2800) में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिलाधिकारी (भूलेख अधिष्ठान) कार्यालय चमोली में जमा होंगे। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने, घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। उक्त तिथि दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के अपराह्न 5:00 बजे के पश्चात् प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन अवश्य लिखा होना चाहिए।

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट होगी, जैसा कि विहित किया जाय।
3. अभ्यर्थी केवल एक ही पद (पटवारी अथवा लेखपाल) के लिए तथा एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।
4. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5. अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक है)।
6. आवेदन शुल्क सामान्य एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹0 300.00 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों से ₹0 150.00 के लिए बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर जो जिलाधिकारी चमोली के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें एवं निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
10. नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर जिन अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन हुआ है, में अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती हेतु विहित प्रशिक्षण के लिए अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-
(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो ;या
नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण -पत्र प्राप्त किया गया हो,
11. अधिमानता -नियम 5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

12. शारीरिक दक्षता-पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।
13. पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी० व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी० अनिवार्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी०, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी० का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम से 58 किलोग्राम के मध्य होना चाहिए। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को पर्वतीय क्षेत्र के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ऊँचाई एवं सीना में 5 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी।
14. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा। टिप्पणी- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ संरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
15. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी : परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेंगी।
16. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
17. शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल होने पर लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
18. राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी चयन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर 01 वर्ष का प्रशिक्षण राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण विद्यालय स्थान अल्मोडा (उत्तराखण्ड) में प्राप्त करना होगा।
19. जनपद चमोली की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

अनुसूचित जाति- 08 पद			अनु० जनजाति - शून्य			अन्य पिछड़ा वर्ग-03 पद			विकलांग	अनारक्षित- 12 पद		
क्षैतिज आरक्षण का विवरण			क्षैतिज आरक्षण का विवरण			क्षैतिज आरक्षण का विवरण			क्षैतिज आरक्षण का विवरण	क्षैतिज आरक्षण का विवरण		
महिला	स्व०सं० सै०के आश्रित	भूत पूर्व सैनिक	महिला	स्व०सं० सै०के आश्रित	भूत पूर्व सैनिक	महिला	स्व०सं० सै०के आश्रित	भूत पूर्व सैनिक	विकलांग	महिला	स्व०सं० सै०के आश्रित	भूत पूर्व सैनिक
02	-	-	-	-	-	01	-	-	-	04	-	01

कलैक्टर,
चमोली।

3

आवेदन प्रारूप

विज्ञापित संख्या:-

आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि-10 नवम्बर, 2015

1. आवेदित पद का नाम-
(उम्मीदवार स्वयं लिखें)
2. आवेदक का नाम- हिन्दी में-
अंग्रेजी में-
3. पिता का नाम-
4. निवास स्थान-
5. (क) जन्म तिथि- अक्षरों में शब्दों में.....
(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2015 को आयु..... वर्ष माह.....दिन.....
6. मूल एवं स्थाई निवास-ग्राम..... पोस्ट..... पटवारी क्षेत्र..... तहसील.....
7. पत्र व्यवहार का पता-
(पिन कोड सहित)
8. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या..... दिनांक..... कार्यालय का नाम
9. शैक्षिक योग्यता-

पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ, जो
राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित किया
गया हो।

क्र०सं०	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. हाई स्कूल						
2. इण्टरमीडिएट						
3. स्नातक						
4. अन्य						

10. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है ? - हों/नहीं
11. अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. अभ्यर्थी की श्रेणी- आरक्षित/अनारक्षित
13. जाति- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. हॉरिजन्टेल आरक्षण-
महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के
आश्रित।
15. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो सम्बन्धित विभाग के
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया
जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र
भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं
विधिक आपत्ति नहीं होगी।
16. आवेदन शुल्क..... बैंक ड्रापट/पोस्टल ऑर्डर संख्या..... दिनांक.....
धनराशि.....
17. राष्ट्रीय खेलों में दक्षता प्राप्त-
(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अग्रसारित
हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी
(कार्यालय की
मुहर)

18. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं। कोई प्रविष्टि अस्पष्ट अपूर्ण भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रक्रिया से वंचित किया जायेगा, इस सम्बन्ध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा तथा आवेदक का अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किया जायेगा एवं सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक.....

श्री पुत्र श्री..... निवासी
ग्राम..... पटवारी वृत्त..... तहसील..... जिला.....

उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र..... में पटवारी अथवा लेखपाल के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें

कलैक्टर,
चमोली।

पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:-

1. आवेदन पत्र के साथ रू० 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।
2. चयन परीक्षा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
3. अभ्यर्थी का चयन होने पर पटवारी प्रशिक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा।
4. आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी कार्यालय चमोली में प्राप्त होना चाहिए। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

(5)

5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किये जायं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो पैन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पेंसिल, पाठ्यसामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाईल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
8. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय चमोली जिम्मेदार नहीं होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जांच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियां प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जायेंगे।
10. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
12. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) तथा (लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों में शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहूत की जायेगी।
13. उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी। उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पैन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
14. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर पत्रक को मोड़ा नहीं जायेगा और उस पर कोई अन्य निशान लगाये नहीं जायेंगे। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा केन्द्र का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
15. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
16. विस्तृत जानकारी www.chamoli.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।

कलैक्टर,
चमोली।